संख्या-33/2018/1066/सैंतीस-2-2018-5(32)/2018

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-24 मार्च, 2018

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना (राज्य योजना) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ओम गो सेवा समिति, राठ, जनपद हमीरपुर, उ0प्र0 के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-3200/सा0-2/बारह-549/गो.से.आ./2016-17, दिनांक-14.03.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में छुट्टा गोवंश की समस्या के दृष्टिगत प्रदेश की पंजीकृत गोशालाओं में वर्तमान में धारित पशुओं के अतिरिक्त अन्य छुट्टा पशुओं को भी रखे जाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-21-गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना (राज्य योजना)' के मानक मद 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ओम गो सेवा समिति, राठ, जनपद हमीरपुर, उ0प्र0 के सुदृढ़ीकरण हेतु उपलब्ध कराये गये रू0-129.00 लाख के आगणन पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए एतद्द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0-64.50 लाख (रूपये चौंसठ लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत धनराशि के व्यय हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक गाइडलाइन्स/नियमावली निर्गत करा ली जायेगी।
2. निर्माण से संबंधित दिनांक-01.01.2018 से लागू लोक निर्माण विभाग के एस.ओ.आर. द्वारा अनावासीय भवन निर्माण को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्नगत निर्माण/सुदृढ़ीकरण का आगणन लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्गीकृत संगत श्रेणी के अन्तर्गत नियमानुसार गठित किया गया है, के संबंध में निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 यथावश्यक लोक निर्माण विभाग का परामर्श प्राप्त कर लेंगे।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण करने से पूर्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रश्नगत निर्माण हेतु निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, वस्तुतः जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक तथा निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा।
9. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
10. प्रस्तावित धनराशि से निर्माण कार्य पी.डब्ल्यू.डी. शिड्यूल रेट से कराया जायेगा।
11. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में निर्धारित अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
12. आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।
13. प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
14. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत किया जायेगा।
15. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-21-गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना (राज्य योजना)-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-2-यू.ओ.-385/दस-2018, दिनांक-24.03.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-33/2018/1066(1)/सैंतीस-2-2018- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- अध्यक्ष/सचिव, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) परिवर्तित नाम उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, गोमतीनगर, लख्नऊ।
4- वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in